

[60]
[TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION
3(i)]

GOVERNMENT OF INDIA(BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF HOME AFFAIRS(GRIH MANTRALAYA)

New Delhi, the 3rd July, 1976.

NOTIFICATION

S.O. 2566. -- In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Lieutenant Governor of the Union territory of Pondicherry shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers and discharge the functions of the State Government under the following provisions of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (33 of 1976), namely:-

- (a) clause (d), sub-clause (B) of clause (n) and the second proviso to clause (B) of the Explanation to clause (o), of section 2;
- (b) sub-section (2) of section 7;
- (c) sub-section (5) of section 10;
- (d) sub-sections (1) and (3) of section 11;
- (e) sub-section (1) and sub-section (3) of section 12;
- (f) sub-section (1) of section 14;
- (g) clause (vi) of sub-section (1) of section 19;
- (h) section 20;
- (i) sub-section (1) of section 21;
- (j) sub-section (1) of section 23;
- (k) sub-section (1) of section 24;
- (l) section 34;
- (m) section 35;
- (n) section 37.

[No.U-11030/4/76-UTL]

[777]
(R.L. PRADEEP)
DIRECTOR.

To

The Manager, Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area, Ring Road,
NEW DELHI.

(भारत के राजपत्र भाग-2, खण्ड-3 (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई, 1976.

अधिसूचना

का० आ० संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति सतहारा यह निर्देश देते हैं कि पांडिचेरी संघ राज्य द्वात्र के उप राज्यपाल, राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन तथा अंगला आदेश जारी होने तक नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 33) के निम्नलिखित उपबंधों के अन्तर्गत राज्य सरकारवत शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा कार्य करेंगे, नामतः

- (क) धारा 2 के खण्ड (घ), खण्ड (इ) का उपखण्ड (ख) और खण्ड (ए) की व्याख्या के खण्ड (ख) का दूसरा परन्तुक
- (ख) धारा 7 की उप-धारा (2)
- (ग) धारा 20 की उप-धारा (5)
- (घ) धारा 11 की उप-धारा (1) और (3)
- (ङ) धारा 12 की उप-धारा (1) और (3)
- (च) धारा 14 की उप-धारा (1)
- (छ) धारा 19 की उप-धारा (1) के खण्ड (vi)
- (ज) धारा 20
- (फ) धारा 21 की उप-धारा (1)
- (झ) धारा 23 की उप-धारा (1)
- (ट) धारा 24 की उप-धारा (1)
- (ठ) धारा 34
- (ड) धारा 35 तथा
- (ढ) धारा 37

(यू०-११०३०।४।७६-२० टी०।६८०)

33332

(आर० ए८० परदीप)
निदेशक

सेवा में

प्रबन्धक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी ओबोगिक फॉटो, रिंग रोड, नई दिल्ली ।